बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–18 / विविध–09 / 2008– 1845 (18) / स्वा0,पटना,दिनांक 28/ 11 / 2013.

बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियम) अधिनियम, 2010 की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार अधिनियम की धारा 52 में निर्देशित से भिन्न अन्य विषयों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।**– (1) यह नियमावली बिहार राज्य नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।

(2) इस का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह बिहार राज्य के सभी नैदानिक स्थापनों पर लागू होगी।

(3) यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी तथा

यह नैदानिक स्थापनों के विभिन्न कोटियों में, समय–समय पर यथा अधिसूचित, चरणबद्ध रीति से लागू होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010;

(ख) "नियमावली" से अभिप्रेत है, बिहार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2013;

(ग) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा–10 के अधीन गठित जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार;

(घ) "प्रमाण–पत्र" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा–30 के अधीन निर्गत स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र;

(ङ) "नैदानिक स्थापन" से अभिप्रेत है–

(i) अस्पताल, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, औषधालय, निदानालय (क्लिनिक), आरोग्य सदन या किसी भी नाम का वह संस्थान, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं द्वारा स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित हो और जो औषधि के किसी मान्यता प्राप्त पद्वति द्वारा बीमारी, चोट, विकृति, अपसामान्यता या गर्भावस्था के लिए निदान, इलाज या देखभाल से संबंधित सेवाएँ, सुविधाएँ उपलब्ध कराते हो ; या

(ii) रोगों के निदान या इलाज के संबंध में स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्थापित या उपखंड (i) में निर्देशित स्थापन के भाग के रूप में वह स्थान जहाँ प्रयोगशाला या अन्य चिकित्सीय उपकरण की सहायता से विकृतिजन्य जीवाणुविषयक, वंशगत, विकिरण चिकित्सा, रासायनिक, जैविक अनुसंधान या अन्य निदान विषयक जानकारी या अनुसंधानात्मक सेवाएँ सामान्य रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, द्वारा चलायी जाए, स्थापित और प्रशासित या अनुरक्षित की जाय और जिसमें निम्नलिखित के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन वाला नैदानिक स्थापन सम्मिलित होगा–

(क) सरकार या सरकार का कोई विभाग;

(ख) न्यास, चाहे सर्वाजनिक हो या निजी;

(ग) केन्द्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगम (सोसाइटी सहित) चाहे सरकार के स्वामित्व में हो या नहीं;

(घ) स्थानीय प्राधिकार; और

(ङ) एक चिकित्सक,

किंतु इसमें सेना अधिनियम, 1950, वायुसेना अधिनियम, 1950 और नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन गठित सशस्त्र बलों के स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंघन वाला नैदानिक स्थापन सम्मिलित नहीं है

(च) "अपात चिकित्सीय व्यवस्था" से अभिप्रेत है ऐसी चिकित्सीय अवस्था जिसके अन्तर्गत कोई बीमारी और/या जानबूझकर या दुर्घटनावश ऐसी प्रकृति की चोट जिससे पर्याप्त गंभीरता (तीव्रवेदना सहित) का तीव्र रोग लक्षण स्वतः सुस्पष्ट हो और जिसपर तुरंत चिकित्सीय ध्यान न देने के कारण युक्तियुक्त रूप से निम्नलिखित परिणाम धट सके;

(i) व्यक्ति या गर्भवती स्त्री के संबंध में जीवन या स्वास्थ्य को, स्त्री या उसके अजन्मा शिशु के जीवन और स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डालना;

(ii) शारीरिक क्रियाओं की गंभीर क्षति; या

(iii) कोई अंग या शरीर के किसी भाग की गंभीर दुष्क्रिया;

(छ) "राष्ट्रीय परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–3 के अधीन संस्थापित नैदानिक स्थापनों के लिए राष्ट्रीय परिषद्;

(ज) "विहित" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(झ) "औषधि की मान्यता प्राप्त पद्धति" से अभिप्रेत है, औषधियों के एलोपैथी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होमियोपैथी, सिद्ध और यूनानी पद्धति या केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर मान्यता प्राप्त औषधि की कोई अन्य पद्धति;

(ञ) "रजिस्टर" से अभिप्रेत है अधिनियम की धाराएँ क्रमशः 37, 38 और 39 के अधीन प्राधिकार, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा संधारित रजिस्टर जिसमें रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों की संख्या अन्तर्विष्ट हो;

(ट) "रजिस्ट्रीकरण" से अभिप्रेत है, धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करना और रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकृत अभिव्यक्ति का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ठ) 'मानक' से अभिप्रेत है ऐसी शर्ते जो केन्द्र सरकार धारा–12 के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय–समय पर विहित करे;

(ड) "विधान मंडल रहित संघ शासित प्रदेश के संबंध में राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद–239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक, और

(ढ) खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी आपात चिकित्सीय व्यवस्था के संबंध में "सुस्थिर करना" (इसके विभिन्न वैयाकरण रूप और सजातीय पदों सहित) से अभिप्रेत है औचित्यपूर्ण चिकित्सीय प्रसंभाव्यता के अन्तर्गत उस अवस्था की ऐसी चिकित्सीय इलाज यह सुनिश्चित करने के लिए यथा अपेक्षानुसार करना कि नैदानिक स्थापन से किसी व्यक्ति के स्थानांतरण के कारण या दौरान उस अवस्था का कोई तात्विक क्षय होने की संभावना न हो।

इसमें प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किये गए हैं।

नैदानिक स्थापनों के लिए राज्य परिषद।

3. **चिकित्सीय स्थापनों के लिए राज्य परिषद की स्थापना।**— राज्य सरकार नैदानिक स्थापनों के लिए राज्य परिषद् का गठन अधिसूचना द्वारा, करेगी।

4. **राज्य परिषद् के कृत्य।**—राज्य परिषद् विशेषतः निम्नलिखित कृत्यों का अनुपालन करेगी:—

(क) राज्य के नैदानिक स्थापनों के रजिस्टरों का संकलन एवं अद्यतन करना;

(ख) राष्ट्रीय रजिस्टर (डिजिटल फॉरमेट सहित) को अद्यतन करने के लिए मासिक रिर्पोट भेजना;

(ग) राष्ट्रीय परिषद् में राज्य का प्रतिनिधित्व करना;

(घ) प्राधिकार के आदेशों के विरूद्व अपीलों की सुनवाई करना;

(ङ) अपने राज्य के अंतर्गत मानकों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन;

(च) राज्य में अधिनियम एवं नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना;

(छ) तकनीकी या सामाजिक दशाओं में परिवर्तन के अनुसार नियमावली में अपेक्षित किसी रूपान्तरणों की अनुशंसा सरकार को करना;

(ज) अन्य किसी कृत्य का निष्पादन करना जो नैदानिक स्थापनों के राष्ट्रीय परिषद् द्वारा, प्रस्तुत किया जाय;

(झ) केन्द्र सरकार द्वारा यथा विहित कोई अन्य कृत्य।

5. **सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हता।**— राज्य परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कोई व्यक्ति निरर्हित होगा यदि वह—

(क) किसी अपराध, जो राज्य सरकार की दृष्टि में नैतिक अधमता का हो, में सिद्धदोष ठहराया गया हो और कारावास से दंडित हुआ हो; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो; या

(ग) विकृत चित्त का हो और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया हो; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम से हटाया या पदच्युत किया गया हो ; या

(ङ) राज्य सरकार की दृष्टि में, परिषद् में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता हो, जिससे उनके द्वारा सदस्य के रूप में कर्त्तव्य निर्वहन किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।

6. कामकाज का संचालन।—राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

7. राज्य परिषद् की बैठकों के लिए समय और स्थान।—राज्य परिषद् की बैठकें समान्यतः परिषद् द्वारा यथा निर्धारित तिथियों को ही राज्य की राजधानी में आहूत की जाएगी। राज्य परिषद की बैठक तीन महीने में कम से कम एकबार की जाएगी।

8. बैठक की सूचना (नोटिस)।—बैठक की तिथि से कम—से—कम एक सप्ताह पहले विशेष बैठक को छोड़कर प्रत्येक बैठक की सूचना परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, सदस्य सचिव द्वारा निर्गत की जाएगी।

9. गणपूर्ति, बैठक आहूत किया जाना, कार्यवृत्त।—(1) राज्य परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई गणपूर्ति होगी और परिषद् की सभी कार्रवाईयों पर उपस्थित एवं मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

(2) राज्य परिषद् की प्रत्येक ऐसी बैठक की सूचना और कार्य सूची बैठक के 7—10 दिनों पहले सामान्यतः परिषद् के सदस्य सचिव द्वारा दी जाएगी।

(3) परिषद् की बैठकों की कार्यवाहियों की कार्यवृत्त के रूप में परिरक्षित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा संपुष्टि के उपरांत अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(4) बैठक के 5 —7 दिनों के अन्दर राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् इसे परिषद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक के 15 दिनों के अन्दर भेजी जाएगी। यदि उनके प्रेषण के 10 दिनों के भीतर उनकी शुद्धता पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उनमें के किसी

निर्णयों को प्रभावी किया जाएगा, परन्तु अध्यक्ष , जहाँ उसकी राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो , बैठक के निर्णयों पर की जानेवाली कार्रवाई का निदेश दे सकेगा।

10. त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना।—(1) राज्य परिषद् के अपने पद से त्यागपत्र देने को इच्छुक कोई सदस्य लिखित में अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को भेजेगा और प्रत्येक ऐसा त्यागपत्र इस निमित उसके द्वारा उल्लिखित तिथि से प्रभावी होगा या उस स्थिति में जहाँ ऐसी तिथि अनुल्लिखित हो, उसके त्यागपत्र के बारे में सम्बद्व सदस्य की पुष्टि के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा उसके पत्र की प्राप्ति की तिथि से ऐसा त्यागपत्र प्रभावी होगा।

(2) जब कोई आकस्मिक रिक्ति सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण से होती हो , तो अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को तत्काल इस आशय का एक प्रतिवेदन भेजा जायगा, जिसपर राज्य सरकार ऐसी रिक्तियों को, यथास्थिति, नामांकन या निर्वाचन से भरे जाने के लिए उपाय करेगी।

11. वित्त और लेखा।— भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित नाम सूची (पैनल) से नियुक्त किये गए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा परिषद् की लेखा का वित्त अंकेक्षण प्रति वर्ष किया जाएगा। ऐसे वित्त अंकेक्षण से संबंधित उपगत कोई व्यय परिषद् द्वारा भुगतेय होगा।

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार

12. जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की स्थापना।— राज्य सरकार अधिनियम की धारा—10 के अधीन और केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त बनाई गई नियमावली के अनुसार अधिसूचना के द्वारा नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक जिला हेतु जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के रूप में कहे जाने वाले एक प्राधिकार का गठन करेगी।

13. जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के कृत्य।— (क) किसी नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देना, नवीकरण करना, निलंबित रखना या रद्द करना;

(ख) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम 2010 के उपबंधों एवं नियमावली का अनुपालन करवाना;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाई गई नियमावली के उल्लंघन के परिवादों का अनुसंधान करना और अविलम्ब कार्रवाई करना;

(घ) उन सभी रद्द, निलंबित या अस्वीकृत रजिस्ट्रेशनों सहित निर्गत औपबंधिक एवं स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्रों की संख्या एवं प्रकृति से संबंधित व्यौरा के साथ त्रैमासिक प्रतिवेदन तैयार करना और राज्य परिषद् को भेजना;

(ङ) अधिनियम के अतिक्रमण में गैर रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन के कार्य संचालन के विरूद्ध की गई कार्रवाई पर राज्य परिषद् को त्रैमासिक आधार पर प्रतिवेदित करना;

(च) केन्द्र सरकार और /या राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर यथा विहित, किसी अन्य कृत्य का निष्पादन करना।

14. जिला प्राधिकार की शक्तियाँ।— जिला प्राधिकार को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित मामलों में वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, यथा—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य कोई दस्तावेज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या अन्य भौतिक पदार्थ की खोज और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ—पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना ;

(ङ) साक्षी या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन निर्गत करना ;

(च) अपने निर्णयों , निदेशों और आदेशों की समीक्षा करना ;

(छ) किसी आवेदन को किसी चूक या इसपर एक पक्षीय निर्णय करते हुए खारिज करना ;

(ज) विहित किया जाने वाला कोई अन्य मामला।

15. जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की बैठकों के लिए कार्य की तैयारी का स्थान और समय।– जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की बैठकें महीने में कम से कम एक बार नियत तिथि और समय पर आहूत की जायेगी।

16. जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के कामकाज का संचालन।– जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता , अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

17. बैठक की सूचना नोटिस।– विशेष बैठक से इतर प्रत्येक बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रत्येक सदस्य को संयोजक द्वारा निर्गत की जाएगी।

18. गणपूर्ति, कार्यवृत्त।– (1) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई गणपूर्ति होगी और प्राधिकार की सभी कार्रवाईयों पर उपस्थित एवं मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।

(2) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की बैठकों की कार्यवाहियों को कार्यवृत्त के रूप में परिरक्षित किया जाएगा जिसे अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा संपुष्टि के उपरान्त अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(3) बैठक के 5 –7 दिनों के अन्दर जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी और उनके द्वारा

अभिप्रमाणित किए जाने के पश्चात इसे परिषद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी। यदि उनके प्रेषण के 10 दिनों के भीतर उनकी शुद्धता पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उनमें से किसी निर्णय को प्रभावी किया जाएगा , परन्तु अध्यक्ष , जहाँ उनकी राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, वहाँ बैठक के निर्णय पर की जानेवाली कार्रवाई का निदेश दे सकेंगे।

19. त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना।— यदि किसी अन्य सदस्यों के कार्यालय में कोई आकस्मिक रिक्ति, मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी या किसी अन्य अक्षमता के कारण कर्त्तव्य निर्बहन में असमर्थता के कारण होती है, तो ऐसी रिक्ति जिला समाहर्त्ता द्वारा सीधी नियुक्ति कर भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य, उस सदस्य, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त हुआ हो, के शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

20. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण।— (1) अधिनियम की धारा 14(1) और 14(3) के अधीन आवेदक एस0जी0ए0आर0 उपाबंध के अनुसार फार्मेट में आवश्यक सूचना सहित या तो स्वयं या डाक से या वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 24 तथा 25 के अधीन आवेदक राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विहित किए जानेवाले फार्म और फार्मेट में नैदानिक स्थापनों की विभिन्न कोटियों के लिए न्यूनतम मानकों और कार्मिक की अपेक्षाएँ पूरा किए जाने के साक्ष्य सहित और आवश्यक सूचना से भरे गए आवेदन, जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वयं या डाक से या वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि कोई स्थापन, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली (केन्द्र सरकार) , 2011 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट एक कोटि से अधिक में सेवाएँ प्रदान कर रहा हो,

तो स्थापन को अधिनियम की धारा 14(1) और धारा 30 के अधीन स्थापन के प्रत्येक कोटि के लिए अलग औपबंधिक या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। फिर भी, यदि कोई प्रयोगशाला या रोग निदान विषयक केन्द्र बाह्य रोगी / अंतरंग रोगी की देखभाल करनेवाले किसी स्थापन का भाग हो, तो अलग से किसी रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नही होगी।

21. आवेदन की अभिस्वीकृति।– रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या इस निमित्त उसके पद पर प्राधिकृत कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की रसीद को एस0जी0ए0ए0 उपाबंध के अनुसार उपबंधित अभिस्वीकृति पर्ची में तत्काल, यदि आवेदन प्राधिकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हो अथवा अगले कार्य दिवस के अपश्चात् यदि आवेदन डाक से प्राप्त किया गया हो, अभिस्वीकृत करेगा और ऑन लाइन से प्राप्त आवेदन की अभिस्वीकृति रसीद उस पद्धति द्वारा स्वतः तैयार हो जाएगी।

22. रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी।– प्राधिकार, औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के पूर्व किसी प्रकार की जाँच नहीं करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 10 दिनों की अवधि के अंदर आवेदक को अधिनियम की धारा 15, सहपठित धारा 17 के अधीन डाक या एलेक्ट्रानिक पद्धति से एस0जी0आर0 उपाबंध के अनुसार विशिष्टियों एवं सूचना से युक्त औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

23. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।– (1) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार, स्वयं यह संतुष्ट होने के पश्चात कि आवेदक ने नैदानिक स्थापन चलाने के लिए अपेक्षित न्यूनतक मानकों और कार्मिक के प्रावधान सहित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है, राष्ट्रीय परिषद् द्वारा तैयार किए गए फार्मेट के अनुसार स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र आवेदक को डाक या एलेक्ट्रॉनिक पद्वति से देगा।

(2) अधिनियम की धारा 29 के अधीन स्थायी रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में, प्राधिकार 1–2 महीने के अन्दर निम्नलिखित से संबंधित आदेश पारित करेगाः–

(क) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को अनुज्ञात करना; या

(ख) आवेदन को अननुज्ञात करनाः

परन्तु प्राधिकार स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को यदि अननुज्ञात करता है तो उसके न्यायौचित्य और कारणों को अभिलिखित करेगा।

24. प्रभारित की जानेवाली फीस।– (1) स्थापन के औपबंधिक एवं स्थायी रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण, विलम्बित आवेदन, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति, स्वामित्व का परिवर्तन, प्रबंधन या नाम के लिए प्रभारित की गयी विभिन्न फीस अधिनियम की धारा–14(1) सहपठित धारा 19, धारा 20(2), धारा–22; धारा–24 धारा 35 के अधीन एस0जी0एफ0 उपाबंध में विहित है।

(2) सरकार (केन्द्र, राज्य या स्थानीय प्राधिकार) के स्वामित्ववाले, नियंत्रित और प्रबंधित नैदानिक स्थापनों को रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के भुगतान से छूट दी जाएगी।

(3) नैदानिक स्थापनों के विभिन्न कोटियों के लिए विहित फीस राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना के माध्यम से राज्य परिषद् द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(4) फीस का भुगतान अधिनियम की धारा 14(1) और धारा 30 के अधीन, यथा विनिर्दिष्ट, सम्बद्व रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/ ऑनलाइन लेनदेन द्वारा किया जाएगा।

(5) नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकारों द्वारा वसूल की गयी फीस सम्बद्व रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के शासकीय पदनाम के नाम से खोले गए राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक खाता में संम्बद्व प्राधिकार द्वारा जमा किया जाएगा और जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार द्वारा यथानुमोदित, अधिनियम के उपबंधों और इस नियमावली के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों के लिए प्राधिकार द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा।

(6) राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् निधि के नाम से एक निधि संस्थापित की जाएगी और सभी जिला प्राधिकार, फीस और शास्तियों के माध्यम से उनके द्वारा वसूली गई कुल रकम का 2 प्रतिशत इसमें जमा करेंगें।

(7) वित्तीय संहिता के अनुसार लेखा का संधारण किया जाएगा और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्व अर्हित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा उक्त लेखा की लेखापरीक्षा की जाएगी। वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सम्बद्व राज्य परिषद् को सौपें जायेगें।

(8) स्वामित्व या प्रबंधन के किसी परिवर्त्तन की स्थिति में, अधिनियम की धारा 20(2) और धारा 30 के अधीन स्थापन पुराने प्रमाण पत्र को अभ्यर्पित रजीस्ट्रीकरण कर और उन परिवर्त्तनों को सम्मिलित करते हुए, यथास्थिति, औपबंधिक या स्थायी रजिस्ट्रीकरण का पुनरीक्षित प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए एस0जी0एफ0 उपाबंध में विहित फीस के साथ ऐसे परिवर्त्तन के एक माह के भीतर जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को लिखित में संसूचित करेगा।

(9) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (औपबंधिक या स्थायी) के खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 19 और धारा 30 के अधीन एस0जी0एफ0 उपाबंध में विहित फीस के भुगतान पर स्थायी प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति निर्गत करने के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को आवेदन करेगा।

25. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण।– (1) नैदानिक स्थापन, औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति की तीस दिनों के पहले औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। नियत अवधि के भीतर नवीकरण का आवेदन प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकार अधिनियम की धारा 22 के अधीन नवीकरण के आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि तक प्रतिदिन रू0 100/– की शास्ति और एस0जी0एफ0 उपाबंध में यथा विहित नवीकरण रकम के भुगतान पर रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की अनुमति देगा।

(2) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए, नैदानिक स्थापन पाँच (5) वर्षों की रजिस्ट्रीकरण अवधि की समाप्ति के तीन (3) महीने पहले आवेदन करेगा। आवेदन प्राप्ति के तीन (3) महीने के भीतर प्राधिकार द्वारा नवीकरण की मंजूरी दी जाएगी, ऐसा नहीं होने पर, यह नवीकृत समझा जाएगा। यदि नैदानिक स्थापन, रजिस्ट्रीकरण अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर आवेदन नहीं करता है, तो रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया गया समझा जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 30(4) के अधीन नैदानिक स्थापन, स्थायी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति के छः(6) महीने पहले स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। नियत अवधि के भीतर नवीकरण का आवेदन प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकार नवीकरण का आवेदन प्राप्त करने की तिथि तक प्रतिदिन 100/– रू0

शास्ति और एस0जी0एफ0 उपाबंध में विहित नवीकरण रकम के भुगतान पर रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की अनुमति देगा।

संधारित किए जाने वाले रजिस्टर, विवरणी देना और सूचना का संप्रदर्शन। 26.

संधारित किये जाने वाले रजिस्टर।– (1) प्रत्येक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार स्वयं द्वारा रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापनों का रजिस्टर डिजीटल फार्मेट में इसके स्थापन से दो वर्षों की अवधि के अन्दर संकलित प्रकाशित

और संधारित करेगा और यह राष्ट्रीय परिषद् द्वारा यथा विकसित विशिष्टियों वाले रजिस्टर में इस प्रकार निर्गत प्रमाणपत्र के विशिष्टियों की प्रविष्टि करेगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु गठित कोई अन्य प्राधिकार सहित प्रत्येक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार, अधिनियम की धारा 37(2) को ध्यान में रखते हुए आगामी माह के 15 वें दिन तक किसी विशेष माह के लिए नैदानिक स्थापनों के जिला रजिस्टर में की गई प्रत्येक प्रविष्टि की प्रति नैदानिक स्थापनों के राष्ट्रीय परिषद् को डिजिटल फार्मेट में उपलब्ध कराएगा।

27. सूचना का संप्रदर्शन।– (1) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार औपबंधिक रजिस्ट्रेशन की मंजूरी की पैंतालिस (45) दिनों की अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 16 (2) के अधीन नैदानिक स्थापनों के नाम, औषधि की प्रस्तावित पद्धति, प्रस्तावित सेवाओं के प्रकार एवं प्रकृति और चिकित्सीय कर्मचारिवृंद (चिकित्सक, परिचारिका आदि) के व्योरे या तो दो स्थानीय समाचार–पत्रों या किसी अन्य सार्वजनिक फोरमों के माध्यम से, और जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार द्वारा चालू किए जानेवाले वेबसाईट के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करायेगा।

(2) अधिनियम की धारा 16(2) के अधीन जिन मामलों में सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य हो उसे छोड़ कर, राज्य परिषद् लोक अधिकार क्षेत्र में दी जानेवाली सूचनाओं की प्रकृति में, एक अधिसूचना के माध्यम से, परिवर्तन कर सकेगी।

(3) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी सात दिनों की अवधि के भीतर नैदानिक स्थापन के नाम, पता, स्वामित्व, प्रभारी व्यक्ति के नाम, प्रस्तुत दवा की प्रणाली, प्रस्तुत सेवाओं के प्रकार एवं प्रवृत्ति, चिकित्सीय स्टाफ (डॉक्टर, नर्स आदि) के व्योरों तथा अधिनियम की धारा 26 के

अधीन नैदानिक स्थापन की कोटि विशेष के लिए अनुपालित होनेवाले न्यूनतम मानकों एवं विहित कर्मियों से संबंधित सूचना एवं व्योरों को या तो दो स्थानीय समाचार पत्रों में या किसी अन्य लोक मंच से तथा जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार द्वारा आरंभ किये गये वेबसाईट पर लोक अधिकार क्षेत्र में प्रकाशित करवाएगा।

(4) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी स्थायी रजिस्ट्रीकरण (एस0जी0ओ0 संलग्न) की स्वीकृति के पूर्व शिकायतें दाखिल करने के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर लोक अधिकार क्षेत्र में उपर्युक्त सूचनाएँ प्रदर्शित करवाएगा।

(5)यदि किसी व्यक्ति को नैदानिक स्थापन के विषय में प्रकाशित सूचना से कोई आपत्ति हो, तो वह जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को लिखित में आपत्ति या अनुपालन का कारण एंव प्रमाण दे सकेगा।

(6) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर वैसे नैदानिक स्थापन के नाम लोक अधिकार क्षेत्र में प्रकाशित करवाएगा जिनका (औपबंधिक या स्थायी) रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम की धारा 21 एवं धारा 30 के अधीन समाप्त हो गया हो।

28. नैदानिक स्थापन द्वारा उपलब्ध करायी जानेवाली सूचनाएँ।— (1) नैदानिक स्थापन स्वयं द्वारा उपचारित मरीजों के चिकित्सीय (मेडिकल) रिर्पोट तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों से संबंधित स्वास्थ्य सूचनाओं एवं आंकड़ों का संधारण करेगा और इसे त्रैमासिक रिर्पोट के रूप में जिला प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा। नैदानिक स्थापनों द्वारा संधारित किये जानेवाले रिर्पोट तथा सूचनाओं की प्रकृति राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विकसित किये गये फार्मेट के अनुसार होगी।

(2) समस्त अभिलेखों एवं आंकड़ों की प्रतियाँ, संबंधित नैदानिक स्थापनों में कम–से–कम तीन वर्षों या अधिनियम की धारा 12(i) (iii) के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अनुसार, सुरक्षित रखी जाएँगी। आपातकाल, आपदा या महामारी फैलने की स्थिति में समस्त नैदानिक स्थापन सूचनाएँ एवं आंकड़ें जमा करने के उत्तरदायी होंगे।

(3) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिसूचित अन्य व्याधियों सहित नैदानिक स्थापनों द्वारा जिस प्रकृति की सूचना देनी आवश्यक हो उसे सरकार विहित अन्तराल के साथ–साथ समय–समय पर अधिसूचित करेगी।

(4) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के विशिष्ट प्रावधान के अलावे समस्त स्थापन देश में लागू अन्य प्रयोज्य नियमों अधिनियमों के साथ सूचनाओं एवं आंकड़ों का अनुपालन तथा संधारण करेंगे।

29. प्रवेश की शक्ति।– (1) नैदानिक स्थापन की प्रविष्टि एवं खोज जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या एक पदाधिकारी या इसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत दल या वैसे साधारण या विशेष आदेशों के अध्यधीन, जो प्राधिकार द्वारा किया जाय, किया जा सकेगा। ऐसा कोई निर्णय जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के सदस्यों के बहुमत से लिए जाने की उपेक्षा की जायगी।

(2) यदि कोई बिना रजिस्ट्रीकरण के कोई नैदानिक स्थापन चला रहा हो या विहित न्यूनतम मानकों का पालन नहीं करता हो या ऐसा विश्वास करने का समुचित कारण हो कि नैदानिक स्थापन का प्रयोग, जिन प्रयोजनों के लिए इसका रजिस्ट्रीकरण कराया गया था उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए, किया जा रहा हो या इस अधिनियम और नियमावली के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता हो तो सभी युक्तियुक्त समय पर नैदानिक स्थापनों की प्रविष्टि एवं खोज संचालित की जा सकेगी और अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के अधीन यथावश्यक समझे गए, अभिलेख, पंजी, दस्तावेज, उपस्कर एवं वस्तु की प्रविष्टि एवं निरीक्षण किया जा सकेगा।

(3) निरीक्षण दल स्थापन को निरीक्षण की तिथि तथा जांच के कारणों की लिखित सूचना देगा। जांच दल नैदानिक स्थापन द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे या प्रयोग में लाए जाने के लिए प्रस्तावित परिसर के समस्त हिस्सों का परीक्षण करेगा तथा उपकरणों, उपस्करों एवं अन्य अतिरिक्त वस्तुओं की जांच करेगा ओर नियोजित या नियोजित होने वाले तकनीकी कर्मियों के व्यावसायिक अर्हताओं की जांच–पड़ताल करेगा तथा इस प्रकार की कोई भी अन्य जांच–पड़ताल करेगा जिसे वह लाइसेंस के रजिस्ट्रीकरण एवं स्वीकृति के लिए आवेदन में की गई घोषणा के सत्यापन के लिए आवश्यक समझता है। स्थापन चलाने से संबंधित सभी व्यक्ति निरीक्षण दल को पूर्ण और सत्य सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।

(4) पदाधिकारी और/ या रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार द्वारा इस प्रकार गठित निरीक्षण दल निरीक्षण करने के एक सप्ताह के भीतर एस0जी0आई0आर0 अनुलग्नक के अनुसार जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को एक रिर्पोट समर्पित करेगा जिसकी प्रतिलिपि राज्य परिषद् को दी जाएगी।

(5) नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकृत होने के बाद किसी भी समय यदि प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि:–

(क) रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या

(ख) नैदानिक स्थापन के प्रबंधन का दायित्व जिस व्यक्ति को सौंपा गया है वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध में सिद्ध दोष ठहराया गया है; वह तीन महीने की अवधि के भीतर नैदानिक स्थापन को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा कि नोटिस में वर्णित कारणों से इस अधिनियम के अधीन नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को क्यों न रद्‌द कर दिया जाय।

(6) नैदानिक स्थापन को समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, यदि प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियामवली के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है, तो वह आदेश द्वारा, ऐसे नैदानिक स्थापन के विरूद्व की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्‌द कर सकेगा।

(7) धारा 32 की उप–धारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश वहाँ प्रभावी होगा

(क) जहाँ अपील के लिए विहित अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद ऐसे आदेश के विरूद्व काई अपील न की गयी हो; और

(ख) जहाँ इस प्रकार की अपील की गयी हो और उसे खारिज करने के आदेश की तारीख से उसे खारिज कर दिया गया हो :

परंतु प्राधिकारी लिखित रूप में अभिल्लिखित किये जाने वाले कारणों से, रजिस्ट्रीकरण रद्‌द करने के पश्चात् यदि मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के आसन्न खतरा हो तो नैदानिक स्थापन पर तत्काल अवरोध लगा दे सकेगा।

शास्ति और अपील

30.शास्ति।– (1)अधिनियम की धारा 41 (1) (2)(3) तथा धारा 42(1) (2)(3) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो कोई, बिना रजिस्ट्रीकरण के कोई नैदानिक स्थापन चालाएगा या जो कोई भी जानबूझ कर किसी निदेश की अवज्ञा करेगा या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को रोकेगा या ऐसी जानकारी रोक रखेगा या मिथ्या जानकारी देगा, वह आर्थिक शास्ति का दायी होगा।

(2) जो कोई बिना रजिस्ट्रीकरण के कोई नैदानिक स्थापन चलाएगा, वह प्रथम अतिलंघन पर पचास हजार रूपये की आर्थिक शास्ति, दूसरे अतिलंघन पर आर्थिक शास्ति जो दो लाख रूपये तक बढ़ाई जा सकेगी और उसके बाद किसी अतिलंघन के लिए आर्थिक शास्ति जो पाँच लाख रूपये तक बढ़ाई जा सकेगी, का दायी होगा।

(3) जो कोई, जानबूझ कर किसी ऐसे नैदानिक स्थापन में सेवाएँ देगा जो सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं हो, वह इस अधिनियम के अधीन आर्थिक शास्ति, जो पच्चीस हजार रूपये तक बढ़ाई जा सकेगी, का दायी होगा ।

(4) प्राधिकारों द्वारा संग्रहीत शास्ति–फीस, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा, संबंधित राज्य परिषद् के आधिकारिक पदनाम से खोले गये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जाएगी तथा परिषद् एवं प्राधिकार द्वारा इसका उपयोग अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा और इसका अनुमोदन परिषद् द्वारा किया जाएगा।

31. अपील।– (1) धारा 36, 41 (4)(5)(6)(7) तथा धारा 42 (4)(5)(6)(7) को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई व्यक्ति या नैदानिक स्थापन, अधिनियम की धारा 29 एवं 34 के अधीन प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित हो, तो वह ऐसे आदेश के प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, पाँच हजार रू0 की फीस के साथ, एस0जी0ए0 अनुलग्नक के फार्मेट में अपील दायर कर सकेगा।

(2) किसी लोक स्वास्थ्य देखभाल स्थापन के विरूद्व अपील एस0जी0ए0 फारम में दायर की जा सकेगी और इसे हाथों–हाथ या रजिस्ट्रीकृत डाक से राज्य परिषद् को भेजी जा सकेगी।

(3) प्रत्येक अपील के साथ एक हजार रूपये की फीस संलग्न होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पश्चात, राज्य परिषद् सुनवाई की तारीख और समय नियत करेगी और रजिस्ट्रीकृत डाक से अपीलकर्त्ता तथा संबंधित अन्य को मामले की सुनवाई के लिए कम–से–कम पन्द्रह दिनों का समय देते हुए, इसकी सूचना देगी।

(5) अपीलकर्त्ता स्वयं या प्राधिकृत व्यक्ति या किसी विधि व्यवसायी द्वारा अपना प्रतिनिधित्व तथा अपील के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजी सामग्री, यदि कोई हो, जमा कर सकेगा।

(6) राज्य परिषद् संबंधित सभी की सुनवाई करेगी, उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये सुसंगत मौखिक/ दस्तावेजी साक्ष्य को प्राप्त करेगी, अपील पर विचार करेगी तथा अपील दायर करने की तारीख से अधिमान्यतः नब्बे दिनों के भीतर अपना निर्णय संसूचित करेगी।

(7) यदि राज्य परिषद् समझती है कि इस मामले में अंतरिम आदेश आवश्यक है तो अपील के अंतिम निपटारे को लंबित रखते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगी।

(8) राज्य परिषद् को जिला प्राधिकारी के आदेश प्रवर्तन को उस समय तक स्थगित रखने हेतु प्राधिकार होगा, जिसे वह आवश्यक समझे।

(9) राज्य परिषद् के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगें।

(10) यदि आदेश प्राप्त होने की विहित अवधि (अर्थात) 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्व कोई अपील दाखिल नहीं की जाती है तो प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(11) प्राधिकारियों द्वारा संग्रहीत अपील फीस संबंधित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य परिषद् के अधिकारिक पदनाम के नाम से खोले गये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक–खाते में जमा की जाएगी तथा परिषद् एवं प्राधिकारी द्वारा इसका उपयोग परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित या विहित किया जाने वाला कोई अन्य मामला

एस0जी0ए0आर0 उपाबंध

नैदानिक स्थापनों के औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन फारम

1 स्थापन का नामः

2 पताः

ग्राम / नगरः प्रखंडः

जिलाः राज्यः— पिनकोडः

टेलीफोन नं0 (एस0टी0डी0 कोड के साथ):—

मोबाईलः फैक्सः

ईमेल आई0डी0: वेवसाईट (यदि कोई हो):

3 आरंभ होने का वर्षः

4 स्थानः ग्रामीण शहरी महानगरीय

5 स्वामित्व

सार्वजनिक क्षेत्र

केन्द्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय सरकार

कृपया विनिर्दिष्ट करें:

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेल राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) के कर्मचारी

स्वायत्तशासी संगठन कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).......................

निजी क्षेत्र

व्यक्तिगत स्वामित्व रजिस्ट्रीकृत हिस्सेदारी रजिस्ट्रीकृत कंपनी सोसाईटी

केन्द्रीय/ प्रांतीय या राज्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत पुण्यार्थ ट्रस्ट (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)...

6 नैदानिक स्थापन के स्वामी का नाम:

शैक्षणिक योग्यता:

पता:

ग्राम/ नगर: प्रखंड:

जिला: राज्य: पिनकोड:

टेलीफोन नं0 (एस0टी0डी0 कोड के साथ):

मोबाईल नं0 : फैक्स:

ईमेल आई0डी0:

7 नैदानिक स्थापन के प्रभारी व्यक्ति का नाम:

पदनाम:

पता: शैक्षणिक योग्यता:

ग्राम/ नगर: प्रखंड:

जिला: राज्य: पिनकोड:

मोबाईल नं0 :

टेलीफोन नं0 (एस0टी0डी0 कोड के साथ): फैक्स:

ईमेल आई0डी0:

8 प्रस्तुत औषधि प्रणाली (जो लागू हो उस पर निशान लगाएँ)

एलोपैथी आयुर्वेद यूनानी सिद्ध होमियोपैथी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

9 स्थापन का प्रकार (जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

बाह्य रोगी शुश्रूषा प्रदाता

एकल प्रैक्टिशनर पोली क्लिनिक उपकेन्द्र फिजियो थेरेपी व्यवसायिक थेरेपी बांझपन दंत क्लिनिक क्लिनिक डिस्पेंसरी(औषधालय) डायलिसिस केन्द्र एकीकृत परामर्शदातृ एंव जाँच केन्द्र(आई0सी0टी0सी0) स्वस्थता केन्द्र कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें).......................

अन्तः रोगी शुश्रूषा प्रदाता

अस्पताल नर्सिंग होम मातृ सदन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आरोग्यशाला

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

जांच एंव निदानकारी सेवा प्रदाता

प्रयोगशाला

व्याधि विज्ञान रूधिर विज्ञान जैव रसायन शास्त्र सूक्ष्मजैविकी

अनुवांशिकी संग्रहणकेन्द्र

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

निदानकारी एवं चित्रण केन्द्र

एक्सरे केन्द्र मैमोग्राफी अस्थि घनत्वमिति सोनोग्राफी कलर डॉपलर

सी0टी0 स्कैन मेग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग (एम0आर0आई0) पोजिट्रॉन इमिसन रोमोग्राफी (पी0ई0टी0) स्कैन इलेक्ट्रो मायोग्राफी(ई0एम0जी0)

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

10 सेवाओं की प्रकृति (कृपया जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

सभी प्रणालियों की दवाओं के लिए

सामान्य एकल विशेषज्ञता बहु विशेषज्ञता उच्च विशेषज्ञता चलंत

कोई अन्य कृपया विनिर्दिष्ट करें..

(क) एलोपैथी

सामान्य पेशा बाह्य रोगी अन्तः रोगी दिवस शुश्रूषा केन्द्र आपात / हताहत आई0सी0यू आई0सी0सी0यू0 विकलांगों के लिए विशेष शुश्रूषा सेवायें रक्त बैंक अंग / उत्तक बैंक कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

(ख) आयुर्वेद

औषधि चिकित्सा शल्य चिकित्सा शोधन चिकित्सा रसायन पथ्य व्यवस्था कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

(ग) यूनानी

माताब जहारत इलाज–बित–तदबीर हिफजाँ–ए–सेहत

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

(घ) सिद्ध

मरूथूवम सिरप्यू मरूथूवम वर्मग थोक्कनम एवं योग

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

(ङ) होमियोपैथी

सामान्य होमियोपैथी

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

(च) प्राकृतिक चिकित्सा

प्राकृतिक रीति से बाह्य थेरेपी अन्तः थेरेपी

कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

(छ) योग (कृपया विनिर्दिष्ट करें)..

आधारभूत संरचना का व्योरा

12 स्थापना का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में):

(क) कुल क्षेत्रफल:..(ख) निर्मित क्षेत्र:......................................

13 बाह्य रोगी विभाग:

13. 1. बाह्य रोगी विभाग के नैदानिक स्थापनों की संख्या..

13. 2. बाह्य रोगी विभाग के क्लिनिक का विशिष्ट विषयवार वितरण...

....

क्रम संख्या	विशिष्ट विषय	कक्षों की संख्या

14. अन्तः रोगी विभाग:

14. 1 शय्याओं की संख्या:

14. 2 शय्याओं का विशिष्ट विषयवार वितरण कृपया विनिर्दिष्ट करें:

क्रम संख्या	विशिष्ट विषय	शय्याओं की संख्या

15 क्या पंचायत /नगरपालिका/नगर निगम आदि से नैदानिक अपशिष्ट निपटान अनुज्ञप्ति प्राप्त की गयी है?

हाँ नहीं आवेदित

16 क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्राधिकार से अनुमति ले ली गयी है?

हाँ नहीं आवेदित

मानव संसाधन

17 कर्मचारिबृंद (स्टाफ की कुल संख्या) (आवेदन की तिथि तक):—

स्थायी कर्मचारी की संख्या.............................., अस्थायी कर्मचारी की संख्या.........................

कृपया निम्नलिखित ब्योरे अंकित करें:

कर्मचारी की कोटि	नाम	अर्हता	रजिस्ट्रीकरण संख्या (जहाँ लागू हो)	सेवा की प्रकृति अस्थायी / स्थायी
डॉक्टर (चिकित्सक)				
नर्सिंग कर्मचारी				
पैरामेडिकल कर्मचारी				
भैषजिक				
सहयोगी कर्मचारी				
अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				

अतिरिक्त उपाबंध संलग्न किया जा सकेगा।

18. रजिस्ट्रीकरण फीस के भुगतान का विकल्प:–

ऑनलाइन भुगतान माँगदेय (डिमान्ड) ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर

कोई अन्य, कृपया विनिदिष्ट करें.:.....................................

राशि (रूपये में)..

ब्योरा:–..

रसीद संख्या:–..

मैं,..अपनी तथा कम्पनी / सोसाइटी / एसोसिएसन / निकाय की ओर से इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है तथा मैं नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन सभी नियमों एवं घोषणाओं का पालन करूँगा। मै वचन देता हूँ कि मैं दिये गये विशिष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना उचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को दूँगा।

स्थान:.. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता का हस्ताक्षर

दिनांक:.. कार्यालय सील

एस0जी0ए0ए0 उपाबंध

अभिस्वीकृति

नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण

नैदानिक स्थापन के औपबंधिक/स्थायी रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी/नवीकरण के लिए फारम.................................में...(स्वामी का नाम एवं पता)। द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार द्वारा............................(तिथि)............................ को प्राप्त किया गया और पूर्ण/अपूर्ण पाया गया है।

यह अभिस्वीकृति किसी आवेदक को रजिस्ट्रकरण के नवीकरण या मंजूरी के लिए अधिकार प्रदत्त नहीं करता है।

समुचित प्राधिकार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, का पदनाम एवं हस्ताक्षर

मुहर

निर्गत करनेवाला प्राधिकारी का पदनाम

स्थान एवं तिथि

एस0जी0एफ0 उपाबंध

प्रभारित की जाने वाली फीस

विवरण	शहरी		ग्रामीण		मेट्रो	
	औपबंधिक	स्थायी	औपबंधिक	स्थायी	औपबंधिक	स्थायी
बाह्य रोगी	100	500	50	250	200	1000
अंतरंग रोगी						
1 से 30 शय्या	100	500	50	250	200	1000
30 से 100 शय्या	200	1000	100	500	400	2000
100 से अधिक शय्या	300	1500	150	650	600	3000
जाँच एवं निदान						
प्रयोगशालाएँ	200	1000	100	500	400	2000
निदान विषयक एवं इमेज केन्द्र	300	1500	150	650	600	3000

(बिहार राज्य के अन्तर्गत वर्त्तमान में कोई शहर मेट्रो के रूप में अधिसूचित नहीं है।)

<u>अन्य फीस</u>

- नवीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन फीस औपबंधिक/ स्थायी की आधी राशि।
- विलम्ब से आवेदन करने पर रजिस्ट्रेशन फीस औपबंधिक/ स्थायी की दोगुनी हो जाएगी।
- प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए राशि 200 रूपये होगी।
- स्वामित्व, प्रबंधन या स्थापन का नाम परिवर्तन के लिए राशि 100 रूपये होगी।
- किसी भी अपील के लिए राशि 100 रूपये होगी।

* यदि प्रयोगशाला या निदान विषयक केन्द्र स्थापन का भाग हो जो बाह्य रोगी/ अंतरंग रोगी को सेवा प्रदान करता हो तो अलग से रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं है।

एस0जी0आर0 उपाबंध

औपबंधिक प्रमाण—पत्र

नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरणः

औपबंधिक रजिस्ट्रीकरण संख्याः
निर्गत तिथिः
विधिमान्य तिथिः

1 नैदानिक स्थापन का नामः...

2 पताः..

3 नैदानिक स्थापन का स्वामीः..

4 प्रभारी व्यक्ति का नामः...

5 औषध पद्वतिः..

6 स्थापन का प्रकारः...

नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अधीन एतद् द्वारा औपबंधिक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

यह प्राधिकरण नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

निर्गमन प्राधिकारी का पदनामः

स्थान एवं तिथिः

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारः

पताः

शिकायत की स्थिति में दूरभाष संख्याः

<u>उपाबंध एस0जी0ओ0</u>
(धारा—26)

आपत्तियों को दर्ज करने हेतु रजिस्ट्रीकरण स्थिति का संप्रदर्शन

मैं,...नैदानिक स्थापन अधिनियम, 2010 के अधीन प्राधिकार होने के नाते, नैदानिक स्थापन अधिनियम, 2010 एवं इसके अधीन बनाई गई स्थापन नियमावली, 2012 के प्रावधानों से संतुष्ट होकर धारा 24 के अधीन.....................से ....अवधि के दौरान प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् एतद् द्वारा...................जिला की अधिकारिता के अधीन नैदानिक स्थापनों की सूची प्रकाशित करता हूँ।

क्रम संख्या	नैदानिक स्थापन का नाम एवं पता	स्वामी/ प्रभारी	औषध की पद्वति	किस तिथि को आवेदन जमा हुआ	कोटि एंव अनुपालन मानक

यदि कोई आपत्ति हो, प्रकाशित सूची की लिखित अनुलिपि में, अधिनियम की धारा 26 के अधीन यथापेक्षित इस अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर ....(प्राधिकार का पता) को संबोधित किया जा सकेगा।

स्थानः

तिथिः

हस्ताक्षरः

नामः

(प्राधिकार का मुहर)

एस0जी0आई0आर0 उपाबंध

निरीक्षण रिर्पोट को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित फार्मेट

(1) किए गए निरीक्षण की संख्या और तिथि।–

(2) निरीक्षण दल के सदस्यों का व्यौरा और नाम ।–

(3) निरीक्षित नैदानिक स्थापन का नाम ।–

(4) निरीक्षण नैदानिक स्थापन का पता और सम्पर्क व्योरा निरीक्षण के लिए अपनायी गयी। उदाहरणार्थ कृपया बताएँ कि कौन मिला, किन–किन अभिलेखों की परीक्षण किया गया आदि।

प्रमुख टिप्पणी / निष्कर्ष :–

परिणाम

विशिष्ट अनुशंसाएँ

(1) नैदानिक स्थापन को

(2) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को

* यदि किसी स्थिति में निरीक्षण टीम के सदस्यों के बीच मतैक्य न हो, तो कृपया वैसा ही इंगित किया जाएगा।

तिथिः **हस्ताक्षर (निरीक्षण दल के सभी सदस्यों का)**

स्थान

उपाबंध—क
{देखें, धारा—36 (2)}
अपील के लिए आवेदन—पत्र

सेवा में,

राज्य परिषद्,

....सरकार,

महोदय,

मैं, डॉ0 ....,का....................................रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया था। एक विधिमान्य लाइसेंस धारी हूँ। नैदानिक स्थापन अधिनियम, 2010 के अधीन मेरा रीजिस्ट्रीकरण संख्या..............................है। मुझे जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक—................ ...., दिनांक—......................................के अनुसार;

(i) कि मेरा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया था

(ii) मेरा रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है

(iii) मुझे नैदानिक स्थापन को चलाने से बंचित किया गया है

(iv) मुझे अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए शास्ति के साथ आरोपित किया गया है;

(v) कोई इसका..

जिला प्राधिकारी का उपर्युक्त निर्णय विधिमान्य नहीं लगता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे आवेदन पत्र पर नीचे उल्लिखित औचित्य के अनुसार विचार करें;

(i)
(ii)
(iii)

यदि आवश्यक हो तो मै व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए इच्छुक हूँ। मैं इसके साथ 1000/— रू० का ड्राफ्ट अनुलग्न करता हूँ।

धन्यवाद, हस्ताक्षरः

स्थानः नामः

तिथिः

बिहार राज्यपाल के आदेश से।
28.11.13
(शंकर झा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः—18/विविध—09/2008— 1845(18) /स्वा0,पटना,दिनांकः 28/11/2013.

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना कि सौ प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जाय।

28.11.13
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः— 1845(18) /स्वा0,पटना,दिनांकः 28/11/2013.

प्रतिलिपिः— माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/प्राचार्य/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/निदेशक आई0जी0आई0एम0एस0 एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/अध्यक्ष, आईएम0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.11.13
सरकार के विशेष सचिव।